न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/211

पुष्पा बाई पुत्री मुस0 रूकमा जाति माली निवासी रोलाना मृतक जरिये कायम मुकाम– बंशीलाल आत्मज नेनगीलाल माता पुष्पा बाई जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

1. वेदप्रकाश आत्मज जगन्नाथ जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद मृतक जरिये कायम मुकाम–
   1/1 ललता बाई पुत्री वेद प्रकाश पत्नी गोविन्द जाति माली निवासी पुलिस लाइन गैस गोदाम के पास, कोटा
   1/2–गुड्डी बाई पुत्री हीरालाल नाबा0 जर्ये वली पिता हीरालाल
   1/3–चन्द्रप्रकाश पुत्र हीरालाल नाबा0 जर्ये वली पिता हीरालाल जाति माली निवासीगण पुलिस लाईन गैस गौदाम के पास, कोटा
   1/4–सत्येन्द्र कुमार दत्तक पुत्र शांति बाई नाबा0 जर्ये वलीया माता ललता बाई पुत्री वेदप्रकाश पत्नी गोविन्द जाति माली निवासी पुलिस लाइन गैस गोदाम के पास, कोटा
2. बिरधी पुत्री जगन्नाथ जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा
3. प्रभुलाल आत्मज माधो जाति माली निवासी रोलाना मृतक जरिये कायम मुकामान–
   3/1–चतुर्भुज आत्मज प्रभुलाल जाति माली
   3/2–रामलाल आत्मज प्रभुलाल जाति माली
   3/3–पुरूषोत्तम आत्मज प्रभुलाल जाति माली
   3/4–केसर बेवा प्रभुलाल जाति माली
   3/5–कन्हैयालाल आत्मज प्रभुलाल जाति माली
   3/6–चतरू बाई पुत्री प्रभुलाल पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासीगण गुंजारा तहसील सांगोद जिला कोटा
4. गजानन्द पुत्र माधो जाति माली निवासी रोलाना मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   4/1–रामस्वरूप आत्मज गजानन्द
   4/2–चौथमल आत्मज गजानन्द
   4/3– मूलचन्द आत्मज गजानन्द
   4/4–रामभरोस आत्मज गजानन्द

जाति माली निवासीगण अन्ता जिला बारां

4/5–ग्यारसी बाई पुत्री गजानन्द पत्नी मदनलाल जाति माली निवासी गुंजारा तहसील सांगोद जिला कोटा

4/6–कौशल्या बाई पुत्री गजानन्द पत्नी कैदारलाल जाति माली निवासी मेरमा तहसील अटरू जिला बारां

4/7–सुगना बाई पुत्री गजानन्द पत्नी बजरंग लाल जाति माली निवासी गुंजारा तहसील सांगोद जिला कोटा

5. बजरंगा पुत्र माधोलाल जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा
6. रामचन्द्र पुत्र माधोलाल जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा
8. नवल किशोर पुत्र नेनगीलाल माता पुष्पा बाई
9. तेजकरण पुत्र नेनगीलाल माता पुष्पा बाई
10. घनश्याम पुत्र नेनगीलाल माता पुष्पा बाई

    जाति माली निवासीगण ग्राम आरामपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
11. रामगोपाल पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान–

    11/1 हनुमान आत्मज रामगोपाल

    11/2 रामकिशन आत्मज रामगोपाल

    11/3 भंवरी बाई बेवा रामगोपाल

    जाति माली निवासीगण रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा

    11/4–राभरोसी पुत्री रामगोपाल पत्नी पुरूषोत्तम जाति माली निवासी जोलपा तहसील खानपुर जिला झालावाड़

    11/5 बजरंगी बाई पुत्री रामगोपाल पत्नी मनभंवर जाति माली निवासी सकतपुरा तहसील अटरू जिला बारां
12. रामनारायण पुत्र धूला जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–

    12/1 सीताराम आत्मज रामनारायण

    12/2 बृज मोहन आत्मज रामनारायण

    12/3 पार्वती बेवा रामनारायण

    12/4 रामप्यारी बाई पुत्री रामनारायण, पत्नी प्रभुलाल जाति माली निवासी गुजारा तहसील सांगोद जिला कोटा

    12/5–बदरी बाई पुत्री रामनारायण, पत्नी हरिराम जाति माली निवासी धूलेट तहसील सांगोद जिला कोटा

12/6–सुमित्रा पुत्री रामनारायण, पत्नी रामरतन जाति माली निवासी पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड़

12/7 द्रोपदी पुत्री रामनारायण पत्नी दुर्गाशंकर जाति माली निवासी सकतपुरा तहसील अटरू जिला बारां

13. मोतीलाल आत्मज धूला जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा
14. मन्नी बाई बेवा श्रीकिशन जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री रूपेश श्रंगी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 की ओर से।
3. श्री राजकुमार नामा, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1/1, 1/4 की ओर से।
4. श्री पंकज नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 12/6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 24.09.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 296/1997 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम रोलाना तहसील सांगोद में निम्न विवरण की आराजीयात स्थित हैः– खसरा संख्या 24, 27, 30, 32, 54, 63, 64, 68, 70, 71, 100, 102, 108, 124, 146 कुल किता 15 रकबा 123 बीघा 10 बिस्वा स्थित। उक्त आराजीयात में मौजूदा जमाबंदी में प्रतिवादी नं० 1 का हिस्सा 9/25 वादी नम्बर 2, 3, 4, 5 का हिस्सा 8/25 बराबर एवं प्रतिवादीगण नम्बर 3, 4, 5, 6 का हिस्सा 2/5 दर्ज है जो रेवेन्यू अधिकारियों की भूल से दर्ज किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 वंश वृक्ष वाद पत्र में वर्णित है और आराजीयात मुतदावियों वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मूल पुरूष भैरूलाल नामक व्यक्ति थे। भैरूलाल के 5 पुत्र माधोलाल, जगन्नाथ, गंगाबिशन, धूल्या व रामनाथ थे। उक्त पांचो पुत्रों का देहान्त हो गया। रामनाथ मृतक की उतराधिकारिणी उसकी एक मात्र पुत्री वादिनी नम्बर 1 है। जगन्नाथ मृतक के उत्तराधिकारी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 है। माधो मृतक के उत्तराधिकारी प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 है, गंगाबिशन मृतक के उतराधिकारी वादी नम्बर 2 एवं धूल्या मृतक के उत्तराधिकारी वादी नम्बर 3 लगायत 5 हैं जो वास्तव में मौजूदा आराजीयात के रेवेन्यू

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

रिकार्ड में जमाबंदी में खातेदार दर्ज होने चाहिये थे, इसके स्थान पर मौजूदा रिकार्ड जमाबंदी में रेवेन्यू अधिकारियों की भूल से वादिनी नम्बर 1 एवं प्रतिवादी नबंर 2 का नाम दर्ज नहीं है। वादिनी नम्बर 1 मृतक रामनाथ की एक मात्र पुत्री एवं उत्तराधिकारिणी है। रामनाथ की बेवा मुस० रूकमा का देहान्त भी कुछ सालों पूर्व हो गया, इस प्रकार रूकमा की मृत्यु के बाद रामनाथ की आराजीयात जो उत्तराधिकार में मुस० रूकमा को आई, उक्त भूमि की एक मात्र मुस० रूकमा के बाद वादी नम्बर 1 ही खाते बंधाने की उत्तराधिकारिणी है और उसकी हैसियत आराजीयात मुतदाविया में रूकमा के स्थान पर उसके हिस्से पर खातेदार कृषक की है और उसी हैसियत से यह दीगर सहभागी खातेदारान के साथ आराजी मुतदाविया को मुश्तका रूप से काश्त करती आ रही है। वाद–पत्र में वर्णित वंश वृक्ष एवं रिश्ते के आधार पर वादिनी नं० 1 व 2 का हिस्सा 1/5, वादी नं0 2 का हिस्सा 1/3, वादी नं0 3 लगायत 5 का हिस्सा 1/5 है परन्तु रेवेन्यू अधिकारियों की साजिश से प्रतिवादी नं० 1 ने अपना हिस्सा आराजीयात मुतदाविया में 8/25 व दीगर पक्षकारान का वाद पत्र के मद नं0 2 के अनुसार दर्ज कर दिया है एवं वादिनी का हिस्सा खाते में कहीं दर्ज नहीं किया है जो स्पष्ट तौर पर गलत है और वादीगण उक्त अनुसार खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी हैं। वादिनी नं० 1 एवं दीगर वादीगण ने जब हाल ही में नकल खाता प्राप्त की और उन्हें इस गलत इन्द्राज का पता हुआ तो उन्होंने प्रतिवादी नं० 1 को इन्द्राज दुरस्त कराने का तकाजा किया। इस पर प्रतिवादी नं० 1 ने बताया कि उसने अपना मौजूदा हिस्सा दस्तावेज तारीख 30.6.60 एवं इन्तकाल नम्बर 8 ग्राम रोलाना के आधार पर दर्ज कराया है। यदि प्रतिवादी नं0 1 ने ऐसा कराया है तो तथाकथित इन्तकाल एवं दस्तावेज निम्न कारणों से नल एण्ड वोईड है एवं वादीगण के खिलाफ बेअसर है। (अ) यह कि आराजीयात मुतदाविया वादिनी नं० 1 एवं दीगर वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है तथा कथित दस्तावेज फर्जी बनावटी एवं धोखा देकर तैयार किया गया है। (ब) यह कि यदि तथाकथित दस्तावेज प्रमाणित भी कर सके तो मुस० रूकमा को वादिनी उसकी जायन्दा पुत्री होते हुए भी पैतृक सम्पत्ति की भूमि को प्रतिवादी नं० 1 अथवा दीगर किसी व्यक्ति को मुन्तकिल करने का कोई अधिकार नहीं है। (स) यह कि संबंधित ग्राम पंचायत को बिना सहभागी खातेदारान को सुनवाई का अवसर एवं सूचना दिये तथाकथित इन्तकाल को तस्दीक करने का अधिकार नहीं था और ऐसा करना कानून एवं इन्साफ के सिद्धांतों के विपरीत है। वादीगण के खातेदारी अधिकारों के सिलसिले में प्रतिवादी नं० 1 द्वारा मनमाने तरीके से इन्तकाल तस्दीक करा लेने का हाल ही में वादीगण को करीब 15–20 दिन पूर्व इल्म होने पर वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे उक्त आराजीयात में अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा अदालत हाजा से करावें जिसके लिए यह वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी नं० 1 ने वादिनी के

काश्त में भी बाधा डालना शुरू कर दिया है, जिसके कारण वादिनी का अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराना एवं उस पर अलग से कब्जा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है। वाद हाजा के लिए वाद कारण हाल ही में 15–20 दिन पूर्व प्रतिवादी नं. 1 द्वारा आराजी के काश्त के सिलसिले में झगडा कर वादिनी के हिस्से को चेलैन्ज करने एवं उस पर नकलें लेने पर रिकार्ड की गलती का इल्म होने पर पैदा हुआ है। अतः वाद–पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावें कि – विवादित आराजीयात में वादिनी नं० 1 का हिस्सा 1/5 है। वादिनी नं० 1 का हिस्सा 1/5 का विभाजन कराया जाकर उसका खाता आराजी का अलग कायम किया जावे एवं लगान अलग मुकर्रर फरमाया जावें। इसी प्रकार दीगर वादीगण के हिस्से का भी विभाजन कराया जावें। प्रतिवादी नं० 1 के खिलाफ यह स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि स्वयं अथवा अपने किसी एजेन्ट द्वारा वादिनी नं0 1 को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने में किसी प्रकार बाधा न डाले।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2022 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.04.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 पर उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर दिनांक 26.08.2024 को प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 तथा रेस्पो0 संख्या 1/1, 1/4 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 12/6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि वादनी नं० 1 पुष्पा बाई रामनाथ व रूकमा बाई यानी अपने माता पिता की इकलोती पुत्री व वारिस है तथा रामनाथ व रूकमा के 1/5 हिस्से की भूमि को प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादनी नं० 1 पुष्पा बाई को रामनाथ व रूकमा की पुत्री व वारिस होना मानने के बावजूद भी तनकी नं० 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में नहीं कर वादीगण का वाद डिक्री न कर खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने यह पूर्णतया साबित कर दिया था कि प्रतिवादी रेस्पो० नं० 1 वेद प्रकाश रामनाथ जी का गोद पुत्र नहीं है रामनाथ जी ने कभी भी वेद प्रकाश को अपना गोद पुत्र नहीं बनाया ओर न गोद लिया बल्कि तथाकथित गोदनामा दिनांक 30–6–1960 को आलेखित किया गया उस समय वेद प्रकाश की आयु 18 वर्ष की थी जबकि गोद केवल 14 वर्ष की उम्र के बालक को ही कानूनन गोद लिया जा सकता है। तथा प्रतिवादी नं० 1 वेद प्रकाश द्वारा गोद की रस्म करना, गोद लेना, गोद देना आदि प्रावधान आवश्यक है जिसको प्रतिवादी नं० 1 साबित नहीं किया है व गोद की विधि प्रमाणित नहीं होने से भी गोद ही प्रमाणित नही है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त गोदनामा व गोद को कानूनन सही मान कर तनकी नम्बर 2 प्रतिवादी नं० 1 के पक्ष में तय करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने यह प्रमाणित कर दिया कि प्रतिवादी रेस्पो० नं० 1 जब रामनाथ जी का गोद पुत्र है तो उसे उसके जायन्दा पिता की सम्पति में कोई अधिकार शेष नही रहते है किन्तु स्वयं प्रतिवादी नं० 1 ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि वह विवादित भूमि में से 47 बीघा भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है इस प्रकार रूकमा के हिस्से व उसके वास्तविक पिता के जगन्नाथजी के हिस्से की भूमि पर काबिज है। तथा प्रतिवादी नं० 1 वेद प्रकाश ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिसमें वेदप्रकाश को गोद पुत्र के रूप में अंकित किया हो। तथा वेदप्रकाश दो–दो पिता की भूमि प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 3 का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में तय करने में त्रुटि की है। वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में यह प्रमाणित कर दिया था कि राजस्व रिकार्ड में जिनका नाम अंकित है उनको ही सही रूप से पक्षकार बनाया है। अन्य वारिसान सहखातेदार नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया हे। तथा धारा 53 आर टी एक्ट के वाद में

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

सहखातेदार को ही पक्षकार बनाया जाता है। इसके बावजूद भी मिसजोइन्डर ओफ पार्टीज का दोष मान कर तनकी नं0 4 प्रतिवादी के पक्ष में तय करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी न० 1 ने ग्राम गुन्जारा तहसील सांगोद की 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि रामनाथ जी की होना बताया तथा इस भूमि को प्रस्तुत वाद में शामिल नहीं किया है जिसको शामिल करना चाहिये था इस बाबत तनकी नं0 5 प्रतिवादी नं० 1 के पक्ष में तय करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नही दिया कि जब गोद नामा ही कानूनन प्रमाणित व वेध व विधि सम्मत नहीं है तो उसे किसी भी स्थिती में रामनाथ अथवा रूकमा के हिस्से की आराजी को प्राप्त करने का अधिकार नही है। ऐसी स्थिती में रामनाथ जी की मृत्यु के बाद उसकी बेवा रूकमा व पुत्री को ही समस्त अधिकार प्राप्त होते है। तथा वादी नं० 1 पुष्पा बाई रूकमा की एक मात्र वारिस व पुत्री है इस कारण रूकमा के 1/5 हिस्से की भूमि पुष्पा बाई प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इस आधार पर वादीगण का वाद डिक्री करना चाहिये था ऐसा न कर सरसरी तोर पर दावा वादीगण खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व न्यायिक दृष्टांतो व लिखित बहस का सही रूप से विवेचन नहीं कर व प्रतिवादी नं० 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातो का गलत अर्थ निकाल कर दावा वादीगण खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायाय ने वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शहादत को एग्रीशियेट किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। वादी नं0 1/2 से 1/4, वादी नं0 2 व 3 के वारिसान व वादी नं0 4 व 5 अपील पेश करने में सहयोग नहीं देने के कारण उनको रेस्पो० नं० 8 से 16 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। वादी अपीलान्ट द्वारा निर्णय व डिक्री जेर अपील के विरूद्ध पूर्व में सम्माननीय न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 22.04.2022 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री फरमाया जाकर ग्राम रोलाना तहसील सांगोद की 123 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादी नं० 1 पुष्पा बाई को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर पुष्पा बाई की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त 1/5 हिस्से की भूमि वादी नं0 1/1 से 1/4 के नाम दर्ज किये जाने व विभाजन किया जाकर 1/5 हिस्से की भूमि अलग खाते दर्ज किये जाने की निर्णय व डिकी पारित किए जाने का निवेदन किया।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वेदप्रकाश का कुल 47 बीघा भूमि का हक बनता है। वेदप्रकाश का हिस्सा

ग्राम रोलाना की कुल 123 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 47 बीघा पर बनता है। वेदप्रकाश कुल 47 बीघा भूमि पर ही लगभग 50 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पारिवारिक सजरे के बारे में भी सही जानकारी छुपाई गई है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में कई आवश्यक पक्षकारान के नाम भी शामिल नहीं किये गये हैं और इसलिये वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक पक्षकारान के असंयोजन के कारण डिफेक्टिव है तथा खारिज होने लायक है। स्वर्गीय रामनाथ जी की बेवा श्रीमती रूकमा ने अपने जीवन काल में ही दिनांक 30.06.1960 को जरिये रजिस्ट्री वेदप्रकाश को गोद लेकर स्वर्गीय रामनाथ जी के हिस्से की समस्त आराजीयात का खातेदारी हक तथा स्वामित्व वेदप्रकाश को सौंप दिया था और इसी के तहत दिनांक 05.12.1960 को स्वर्गीय रामनाथ जी के हिस्से की समस्त आराजीयात का नामान्तरण भी वेदप्रकाश उर्फ लटूर के नाम स्वीकृत होकर वादग्रस्त आराजी वेदप्रकाश के खाते दर्ज हो चुकी है। स्व० रामनाथ जी के हिस्से की समस्त आराजीयात पर निरन्तर आज तक वेदप्रकाश ही काबिज है तथा बदस्तूर काश्त करता चला आ रहा है। वेदप्रकाश आज दिनांक तक सही रूप से 47 बीघा भूमि पर काश्त करता हुआ काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बिरधीबाई द्वारा वेदप्रकाश के खाते व हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का उज्ज्र एवं एतराज नहीं किया गया है। वादीया पुष्पा बाई की आयु वाद प्रस्तुत किए जाने के दौरान लगभग 48 वर्ष थी तथा दिनांक 30.06.1960 को उसकी माँ श्रीमती रूकमा ने उसके सामने ही वादीया पुष्पा बाई की जानकारी में लाकर स्वर्गीय रामनाथ की समस्त आराजीयात को वेदप्रकाश उर्फ लदूर को गोद लेकर रजिस्ट्री करवाई थी। दिनांक 05.12.1960 को नामान्तरण भी श्रीमती पुष्पा बाई की जानकारी में ही वेदप्रकाश के नाम खुलवाया था। वाद पत्र में पुष्पा बाई ने अपनी उम्र जानबूझकर गलत रूप से कम लिखवाई है। प्रश्गनत दानपत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा सक्षम अधिकारियों द्वारा तस्दीक किये हुये है एवं सही तौर से तथा कानूनी रूप से तैयार किय गये हैं। पुष्पा बाई का किसी भी प्रकार से कोई भी हक किसी भी आराजी पर नहीं बनता है। समस्त दस्तावेजात वादीया पुष्पा बाई की जानकारी एवं इल्म से तैयार हुये हैं तथा रजिस्टर्ड एवं तस्दीक आदि हुये हैं। वादीया पुष्पाबाई इन दस्तावेजात की वैलिडिटी (वैधानिकता) एवं क्रियान्विति आदि को चुनौती देने से एस्टोप्ड है। वादीया पुष्पा बाई का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक नहीं बनता है। समस्त दस्तावेजात आदि की वादीगण को सन 1960 से ही जानकारी रही है इसलिये वादीगण द्वारा दावा करने के 15–20 दिन पहले तथ्य जानकारी में आने की बात पूर्णतया गलत एवं झूठी है। प्रतिवादी कम 1 वेदप्रकाश उर्फ लटूर लाल समस्त 123 बीघा 10 बिस्वा आराजीयात में से अपने हिस्से की 47 बीघा भूमि पर जन्म से ही काबिज काश्त है।

प्रतिवादी कम 1 वेदप्रकाश सन 1960 से ही रेवेन्यू रिकार्ड के मुताबिक 47 बीघा भूमि का खातेदार टीनेन्ट है तथा उसके हिस्से की 47 बीघा भूमि पर वह जन्म से आज दिनांक तक काबिज काश्त है। इसलिये वादीगण अपीलांटगण को प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध यह दावा लाने का कतई कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हस्तगत प्रकरण में स्वर्गीय श्री किशन की दो पुत्रियों ग्यारसीबाई एवं छोटीबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार स्वर्गीय श्री धूलीलाल जी की तीन पुत्रियों श्रीमती कृष्णाबाई एवं जानाबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है। स्वर्गीय धूलीलाल जी की बड़ी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती धन्नीबाई के एक पुत्र एवं दो पुत्रियों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार स्व० माधोलाल जी की दोनों पुत्रियों रामकन्या तथा नन्दकंवरी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार स्वर्गीय गंगाबिशन के तीन पुत्रों रामरतन, जमनालाल एवं मोहनलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है और इसी तरह स्वर्गीय गंगाबिशन की दोनो पुत्रियों सुन्दरबाई एवं गुलाबबाई को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह सभी व्यक्ति स्वर्गीय धूलीलाल, माधोलाल एवं गंगाबिशन के हिस्से में से कानून के मुताबिक हिस्से पाने के अधिकारी है और इस वाद पत्र के लिये आवश्यक पक्षकार हैं। इन सभी व्यक्तियों को इस वाद पत्र में पक्षकार बनाये बिना ही वाद प्रस्तुत किया गया है, अतः हस्तगत वाद पक्षकारान के असंयोजन के कारण खारिज होने योग्य है। स्वर्गीय रामनाथ की ग्राम गुन्जारा तहसील सांगोद जिला कोटा में भी खसरा नं0 656 की 17 बीघा 7 बिस्वा भूमि तथा खसरा नं0 619 की 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि यानी कुल 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। दिनांक 30.06.1960 के गोद पुत्र एवं रजिस्ट्री के मुताबिक भी यह समस्त भूमि मुझ वेदप्रकाश उर्फ लदूर के हिस्से में आती है। लेकिन इस भूमि पर प्रभूलाल, गजानन्द, बजरंगा एवं रामचन्द्र ने कब्जा कर रखा है। यह समस्त भूमियां भी इस वाद पत्र में शामिल की जानी चाहिये थी जिन्हें कि शामिल नहीं किया गया है। यह सब जानबूझकर किया गया है क्योंकि यह 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि वेदप्रकाश उर्फ लटूर के हिस्से की है। वाद पत्र का वैरीफिकेशन भी प्रोपर एवं कानूनी तौर से नहीं किया गया है और इसलिये यह वाद पत्र खारिज होने लायक है। वाद पत्र महज रेस्पोडेन्ट वेदप्रकाश उर्फ लटूर तथा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बिरधी बाई को परेशान करने, आपस में लडाने की गरज से बदनीयती से प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तनकीवार निष्कर्ष में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 की ओर से न्यायिक दृष्टांत 1998(8) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 701, 2013(1) आर.आर.टी. पेज 529 सुप्रीम कोर्ट पेज 22, हिन्दु लॉ धारा 453, धारा 10 हिन्दु अडॉप्शन एवं मेन्टेनेन्स एक्ट, धारा 46 कोटा स्टेट सर्कुलर, आर.आर.डी. 1991 पेज 540 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/3 तथा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12/6 ने अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम रोलाना तहसील सांगोद की कुल किता 15 कुल रकबा 123 बीघा 11 बिस्वा भूमि में स्वयं का 1/5 हिस्सा निहित होने का कथन किया है तथा वादीया पुष्पाबाई द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने कथित 1/5 हिस्से की हक घोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया हैं। वादीगण अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण अपीलांटगण की पैतृक सम्पत्ति है, वादीगण अपीलांटगण एवं प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण के परिवार के मूल पुरूष भैरूलाल के 5 पुत्र माधोलाल, जगन्नाथ, गंगाबिशन, धूल्या व रामनाथ थे तथा भैरूलाल के सभी पांचो पुत्रों का देहान्त हो चुका है, वादीया पुष्पाबाई मृतक रामनाथ ही एकमात्र पुत्री व उत्तराधिकारी है, रामनाथ की बेवा रूकमा का भी देहान्त हो चुका है, रामनाथ की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी रूकमा के खाते दर्ज हुई है अतः रूकमा की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त रूकमा के खाते की वादग्रस्त आराजी के 1/5 हिस्से की भूमि में वादीया अपीलांट पुष्पा बाई का हक अधिकार निहित है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/4 कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 मृतक वेदप्रकाश के विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारी है, रामनाथ के

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हिस्से की सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 30.06.1960 के आधार पर खोले गए नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 04.12.1960 के आधार पर वेदप्रकाश के नाम दर्ज हुई है। अपीलांटगण वादीगण का कथन है कि प्रश्नगत गोदनामा दिनांक 30.06. 1960 अवैध एवं प्रभावशून्य है अतः उक्त गोदनामा दिनांक 30.06.1960 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 9 दिनांक 04.12.1960 भी प्रारंभ से ही अवैध एवं प्रभावशून्य है। हमने प्रश्नगत गोदनामा दिनांक 30.06.1960 को अवलोकन किया। प्रश्नगत गोदनामा दिनांक 30.06.1960 एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया है। प्रश्गनत गोदनामा दिनांक 30.06.1960 के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 कायम की गई है जो इस प्रकार है– "आया रूकमा ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 30.06.1960 को एक रजिस्टर्ड दस्तोवज द्वारा प्रतिवादी वेदप्रकाश उर्फ लटूर को गोद रखा और दिनांक 05.12.1960 को इन्तकाल आराजीयात को तस्दीक कराके कब्जा दे दिया, इसका दावा हाजा पर क्या असर है ?"। उक्त तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 वेदप्रकाश पर था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 पर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। तनकी संख्या 2 के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 ने डी.डब्ल्यु. 1 वेदप्रकाश(प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं) तथा गवाहान डी.डब्ल्यु. 2 बसन्तीलाल, डी.डब्ल्यु. 3 रमेशचन्द के बयान करवाए गए है। गवाह बसन्तीलाल द्वारा अपने बयानों में रूकमा बाई द्वारा लटूर उर्फ वेदप्रकाश को गोद लेना स्वीकार किया है। गवाह रमेश चन्द ने भी अपने बयान में वेदप्रकाश को रूकमा बाई द्वारा गोद लिए जाने तथा गोदनामे की रजिस्ट्री करवाए जाने एवं बतौर रजिस्ट्री में बतौर गवाह स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। हमारे मत में प्रश्नगत पंजीकृत गोदनामा रूकमा बाई द्वारा वेदप्रकाश को गोद लिए जाने के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य है। प्रश्नगत गोदनामे के खण्डन में अपीलांटगण द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः केवल अपीलांटगण के मौखिक कथनों के आधार पर प्रश्नगत गोदनामा दिनांक 30.06.1960 को अवैध होना स्वीकर नहीं किया जा सकता। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत गोदनामा दिनांक 30.06.1960 एवं उसके आधार पर खोले गए नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 04.12.1960 को आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया है अतः प्रश्नगत गोदानामा दिनांक 30.06.1960 एवं नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 04.12.1960 आज भी अस्तित्व में है। वादीगण अपीलांटगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रश्नगत गोदनामा दिनांक 30.06.1960 एवं नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 04.12.1960 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिया जाना प्रकट होता हो। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के द्वारा लटूर उर्फ वेदप्रकाश को रूकमा द्वारा गोद लिए जाने के तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय में

दस्तोवजी साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 में पारित अपने निष्कर्ष में रामनाथ की विधवा रूकमा बाई द्वारा वेदप्रकाश को गोद लिया जाना तथा रामनाथ की समस्त संपत्ति पर गोदपुत्र वेदप्रकाश उर्फ लटूरलाल का हक होना स्वीकार किया है जिससे हम सहमत है। चूंकि वादग्रस्त आराजी प्रश्नगत गोदनामा दिनांक 30.06.1960 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 8 दिनांक 05.12.1960 स्वीकृत होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वेदप्रकाश उर्फ लटूरलाल के खाते दर्ज हुई है अतः उक्त नामान्तकरण संख्या 8 दिनांक 05.12.1960 एवं प्रश्नगत पंजीकृत गोदनामा दिनांक 30.06.1960 को निरस्त करवाए बिना अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 में किसी प्रकार की विधि एवं प्रकियात्मक त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 296/1997 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2024/211

पुष्पा बाई पुत्री मुस0 रूकमा जाति माली निवासी रोलाना मृतक जरिये कायम मुकाम– बंशीलाल आत्मज नेनगीलाल माता पुष्पा बाई जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

1. वेदप्रकाश आत्मज जगन्नाथ जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद मृतक जरिये कायम मुकाम–
   1/1 ललता बाई पुत्री वेद प्रकाश पत्नी गोविन्द जाति माली निवासी पुलिस लाइन गैस गोदाम के पास, कोटा
   1/2–गुड्डी बाई पुत्री हीरालाल नाबा0 जर्ये वली पिता हीरालाल
   1/3–चन्द्रप्रकाश पुत्र हीरालाल नाबा0 जर्ये वली पिता हीरालाल जाति माली निवासीगण पुलिस लाईन गैस गौदाम के पास, कोटा
   1/4–सत्येन्द्र कुमार दत्तक पुत्र शांति बाई नाबा0 जर्ये वलीया माता ललता बाई पुत्री वेदप्रकाश पत्नी गोविन्द जाति माली निवासी पुलिस लाइन गैस गोदाम के पास, कोटा
2. बिरधी पुत्री जगन्नाथ जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा
3. प्रभुलाल आत्मज माधो जाति माली निवासी रोलाना मृतक जरिये कायम मुकामान–
   3/1–चतुर्भुज आत्मज प्रभुलाल जाति माली
   3/2–रामलाल आत्मज प्रभुलाल जाति माली
   3/3–पुरूषोत्तम आत्मज प्रभुलाल जाति माली
   3/4–केसर बेवा प्रभुलाल जाति माली
   3/5–कन्हैयालाल आत्मज प्रभुलाल जाति माली
   3/6–चतरू बाई पुत्री प्रभुलाल पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासीगण गुंजारा तहसील सांगोद जिला कोटा
4. गजानन्द पुत्र माधो जाति माली निवासी रोलाना मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   4/1–रामस्वरूप आत्मज गजानन्द
   4/2–चौथमल आत्मज गजानन्द
   4/3– मूलचन्द आत्मज गजानन्द
   4/4–रामभरोस आत्मज गजानन्द
   जाति माली निवासीगण अन्ता जिला बारां
   4/5–ग्यारसी बाई पुत्री गजानन्द पत्नी मदनलाल जाति माली निवासी गुंजारा तहसील सांगोद जिला कोटा
   4/6–कौशल्या बाई पुत्री गजानन्द पत्नी कैदारलाल जाति माली निवासी मेरमा तहसील अटरू जिला बारां

–सुगना बाई पुत्री गजानन्द पत्नी बजरंग लाल जाति माली निवासी गुंजारा तहसील सांगोद जिला कोटा

6. बजरंग पुत्र माधोलाल जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा
7. रामचन्द्र पुत्र माधोलाल जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा
9. नवल किशोर पुत्र नेनगीलाल माता पुष्पा बाई
10. तेजकरण पुत्र नेनगीलाल माता पुष्पा बाई
11. घनश्याम पुत्र नेनगीलाल माता पुष्पा बाई
    जाति माली निवासीगण ग्राम आरामपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
12. रामगोपाल पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान–
    11/1 हनुमान आत्मज रामगोपाल
    11/2 रामकिशन आत्मज रामगोपाल
    11/3 भंवरी बाई बेवा रामगोपाल
    जाति माली निवासीगण रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा
    11/4–राभरोसी पुत्री रामगोपाल पत्नी पुरूषोत्तम जाति माली निवासी जोलपा तहसील खानपुर जिला झालावाड़
    11/5 बजरंगी बाई पुत्री रामगोपाल पत्नी मनभंवर जाति माली निवासी सकतपुरा तहसील अटरू जिला बारां
13. रामनारायण पुत्र धूला जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–
    12/1 सीताराम आत्मज रामनारायण
    12/2 बृज मोहन आत्मज रामनारायण
    12/3 पार्वती बेवा रामनारायण
    12/4 रामप्यारी बाई पुत्री रामनारायण, पत्नी प्रभुलाल जाति माली निवासी गुजारा तहसील सांगोद जिला कोटा
    12/5–बदरी बाई पुत्री रामनारायण, पत्नी हरिराम जाति माली निवासी धूलेट तहसील सांगोद जिला कोटा
    12/6–सुमित्रा पुत्री रामनारायण, पत्नी रामरतन जाति माली निवासी पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड़
    12/7 द्रोपदी पुत्री रामनारायण पत्नी दुर्गाशंकर जाति माली निवासी सकतपुरा तहसील अटरू जिला बारां
14. मोतीलाल आत्मज धूला जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा
15. मन्नी बाई बेवा श्रीकिशन जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्याः 296/1997

1. पुष्पा बाई पुत्री मुस0 रूकमा जाति माली निवासी रोलाना मृतक जरिये कायम मुकाम
   1/1 बंशीलाल आत्मज नैनगीलाल
   1/2 नवल किशोर पुत्र नैनगीलाल
   1/3 तेजकरण पुत्र नैनगीलाल

1/4 घनश्याम पुत्र नैनगीलाल जाति माली निवासीगण ग्राम आरामपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

2. रामगोपाल पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान–

2/1 हनुमान आत्मज रामगोपाल

2/2 रामकिशन आत्मज रामगोपाल

2/3 भंवरी बाई बेवा रामगोपाल

जाति माली निवासीगण रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा

2/4 राभरोसी पुत्री रामगोपाल पत्नी पुरूषोत्तम जाति माली निवासी जोलपा तहसील खानपुर जिला झालावाड़

2/5 बजरंगी बाई पुत्री रामगोपाल पत्नी मनभंवर जाति माली निवासी सकतपुरा तहसील अटरू जिला बारां

3. रामनारायण पुत्र धूला जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–

3/1 सीताराम आत्मज रामनारायण

3/2 बृज मोहन आत्मज रामनारायण

3/3 पार्वती बेवा रामनारायण

3/4 रामप्यारी बाई पुत्री रामनारायण, पत्नी प्रभुलाल जाति माली निवासी गुजारा तहसील सांगोद जिला कोटा

3/5 बदरी बाई पुत्री रामनारायण, पत्नी हरिराम जाति माली निवासी धूलेट तहसील सांगोद जिला कोटा

3/6 सुमित्रा पुत्री रामनारायण, पत्नी रामरतन जाति माली निवासी पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड़

3/7 द्रोपदी पुत्री रामनारायण पत्नी दुर्गाशंकर जाति माली निवासी सकतपुरा तहसील अटरू जिला बारां

4. मोतीलाल आत्मज धूला जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा

5. मन्नी बाई बेवा श्रीकिशन जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. वेदप्रकाश आत्मज जगन्नाथ जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद मृतक जरिये कायम मुकाम–

1/1 ललता बाई पुत्री वेद प्रकाश पत्नी गोविन्द जाति माली निवासी पुलिस लाइन गैस गोदाम के पास, कोटा

1/2 गुड्डी बाई पुत्री हीरालाल नाबा0 जर्ये वली पिता हीरालाल
1/3 चन्द्रप्रकाश पुत्र हीरालाल नाबा0 जर्ये वली पिता हीरालाल जाति माली निवासीगण पुलिस लाईन गैस गौदाम के पास, कोटा
1/4 सत्येन्द्र कुमार दत्तक पुत्र शांति बाई नाबा0 जर्ये वलीया माता ललता बाई पुत्री वेदप्रकाश पत्नी गोविन्द जाति माली निवासी पुलिस लाइन गैस गोदाम के पास, कोटा

2. बिरधी पुत्री जगन्नाथ जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा
3. प्रभुलाल आत्मज माधो जाति माली निवासी रोलाना मृतक जरिये कायम मुकामान–
   3/1 चतुर्भुज आत्मज प्रभुलाल जाति माली
   3/2 रामलाल आत्मज प्रभुलाल जाति माली
   3/3 पुरूषोत्तम आत्मज प्रभुलाल जाति माली
   3/4 केसर बेवा प्रभुलाल जाति माली
   3/5 कन्हैयालाल आत्मज प्रभुलाल जाति माली
   3/6 चतरू बाई पुत्री प्रभुलाल पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासीगण गुंजारा तहसील सांगोद जिला कोटा
4. गजानन्द पुत्र माधो जाति माली निवासी रोलाना मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   4/1 रामस्वरूप आत्मज गजानन्द
   4/2 चौथमल आत्मज गजानन्द
   4/3 मूलचन्द आत्मज गजानन्द
   4/4 रामभरोस आत्मज गजानन्द
   जाति माली निवासीगण अन्ता जिला बारां
   4/5 ग्यारसी बाई पुत्री गजानन्द पत्नी मदनलाल जाति माली निवासी गुंजारा तहसील सांगोद जिला कोटा
   4/6 कौशल्या बाई पुत्री गजानन्द पत्नी कैदारलाल जाति माली निवासी मेरमा तहसील अटरू जिला बारां
   4/7 सुगना बाई पुत्री गजानन्द पत्नी बजरंग लाल जाति माली निवासी गुंजारा तहसील सांगोद जिला कोटा
5. बजरंगा पुत्र माधोलाल जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा
6. रामचन्द्र पुत्र माधोलाल जाति माली निवासी रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 296/1997 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.04.2022 की अपील न्यायालय राजस्व अपील**

..., कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ..व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

उक्त अपील तारीख 24.09.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री घनश्याम नागर, रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री रूपेश श्रंगी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/4 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री राजकुमार नामा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 12/6 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री पंकज नागर के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 296/1997 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.04.2022 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 24.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा